**न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनु0जा0/अनु0जन0(अ0नि0) अधि0/अपर सत्र न्यायाधीश/न्या0 सं0 2, पीलीभीत।**
**पीठासीन : श्रीमती शिवा पाण्डेय, एच0जे0एस0**
**परिवाद संख्या 104/2021**
**CNR No. UPPB010030672021**
**भूपराम बनाम रामकुमार आदि**

06.8.2022

1. पत्रावली आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी पर पूर्व में सुना जा चुका है।

2. परिवादी द्वारा अपने परिवादपत्र में कथन किया है कि परिवादी की जगह ग्राम अमखेड़ा में है। जिस जगह पर परिवादी व उसके माता पिता 70 साल पहले से ही रहते चले आ रहे हैं। परिवादी के सगे भतीजे शिव कुमार को ग्राम प्रधान के द्वारा सरकारी आवास मिला है। उक्त सरकारी आवास का निर्माण इसी जगह पर करा रहा है। जिस पर पहले से परिवादी की सरकारी लैटरीन व बाथरूम बनी हुई है। जिस कारण विपक्षीगण परिवादी से व उसके भतीजे से रंजिश मानते हैं। दिनांक 01.9.2021 को समय 4.00 बजे शाम परिवादी व उसका भतीजा अपनी उसी जगह पर निर्माण करा रहे थे। तभी उपरोक्त विपक्षीगण एक राय होकर उसके घर के अन्दर घुस आये और अपने खेत की जगह बताते हुये कहने लगे कि सालो चमटटो उसकी जगह पर अपना सरकारी आवास क्यों बना रहे हो हम नहीं बनने देंगें और गंदी–गंदी गालियां व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये बोले कि सालो चमटटो आज तुम्हें जान से मार डालेंगें। परिवादी के भाई ने गाली देने से मना किया तभी उपरोक्त लोगों ने परिवादी व उसके भतीजे को लाठी डंडों से मारा जिससे उसे व उसके भतीजे को चोटें आयी और आवास की दीवारें खसा दीं जिससे उसे 10,000/–रु0 का नुकसान हुआ। उक्त घटना को निर्माण कर रहे मिस्त्री धर्मपाल व बेचे लाल ने देखा व बीच बचाव किया। विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये।

3. परिवादी ने स्वयं का बयान धारा 200 दं0प्र0सं0 एवं साक्षीगण पी0डब्लू0 1 शिव कुमार व पी0डब्लू0 2 धर्मपाल का बयान धारा 202 दं0प्र0सं0 में कराया है।

4. परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि परिवादी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जबकि विपक्षी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं। परिवादी के भतीजे को सरकारी आवास मिला हुआ जिस पर वह निर्माण करा रहा है। जिस कारण विपक्षीगण परिवादी व उसके परिवार से रंजिश मानते हैं और इसी रंजिश को लेकर घटना वाले दिन विपक्षीगण ने एक राय होकर परिवादी व उसके भतीजे को लात घूंसों से मारा पीटा, गाली गलौज किया व उसकी दीवारें गिराकर उसे नुकसान पहुंचाया तथा जान से मारने की धमकी दी तथा जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। विपक्षीगण ने संज्ञेय प्रकृति का अपराध कारित किया है। अतः विपक्षीगण को सुसंगत धाराओं में जरिये सम्मन तलब कर लिया जावे।

5. **परिवादी भूपराम** ने अपने बयान अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 में कथन किया है कि यह घटना लगभग 2 माह पुरानी है। तारीख मुझे ध्यान नहीं है। शाम के 4 बजे की बात है। उसके घर पर राम कुमार, सुख लाल, रामू, मुन्ना, कृष्ण कुमार कुल 5 आदमी उसके घर पर आये। उसे गालियां दीं साले चमटटा तुझे जान से मार देंगें। सभी ने गालियां दीं उसे मारा पीटा। उसके घर पर ईट गारे का काम कर रे मिस्त्री बेचे लाल व धर्मपाल ने बचाया। यह लोग गाली गलौज साले चमटटे कहते कि तुझे साले गांव में नहीं रहने देंगें, भाग गये। यह बात सही है कि हमारे बीच जगह खेत को लेकर विवाद चल रहा है। कोई मुकदमेबाजी नहीं चल रही।

6. **पी0डब्लू0 1 शिव कुमार** ने अपने बयान धारा 202 दं0प्र0सं0 में कथन किया है कि घटना दिनांक 01.9.21 को समय चार बजे शाम की है। गांव के राम कुमार, सुख लाल, रामू, मुन्ना लाल व कृष्ण कुमार ने उसके घर में घुसकर उसके निर्माणाधीन सरकार से सहायता प्राप्त उसके मकान का निर्माण हो रहा थि आकर तोड़ फोड़ करने लगे। तभी उसके चाचा भूपराम आ गये। उन्होंने तोड़फोड़ करने से मना किया। तभी उक्त लोग उसके चाचा को जातिसूचक शब्द साले चमटअे तुम मेरे खेत में बनवा रहे हो। जबकि वह जगह मेरी पुश्तैनी है। दादा दादी रहते चले आ रहे हैं। वह शोरगुल सुनकर घर में गया तो उक्त लोग उसके चाचा के साथ गाली गलौज व मारपीट कर रहे थे व जातिसूचक शब्दों से गालियां भी दे रहे थे। उक्त लोगों ने लाठी डंडों से मारपीट की। बचाने पर उसे भी मारा। उसने व अन्य लोगों ने व राजमिस्त्री धर्मपाल व बेचने ने भी देखा था। करीब दस हजार का नुकसान हुआ था।

7. **पी0डब्लू0 2 धर्मपाल** ने अपने बयान धारा 202 दं0प्र0सं0 में कथन किया है। आज से लगभग सात माह पहले की बात है। समय करीब 4 बजे शाम वह भूपराम के यहां राजमिस्त्री का कार्य कर रहा था। जो भूपराम के भतीजे शिव कुमार के सरकारी आवास का निर्माण उसके द्वारा किया जा रहा था। तभी गांव के राम कुमार, सुख लाल व रामू, मुन्ना लाल, कृष्ण कुमार आकर निर्माण को तोड़ फोड़ करने लगे। तभी मौके पर भूपराम आ गये। उन्होंने तोड़ फोड़ करने को मना किया तभी उक्त सभी लोग एक राय होकर गंदी–गंदी गालियां देने लगे व लात घूंसों से मारने लगे व जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने लगे। कहने लगे कि सालो चमटटो तुमको जान से मार देंगें। शोरगुल पर गांव के काफी लोग इकठठा हो गये। उसने उक्त घटना देखी व बीच बचाव किया। उपरोक्त मुलजिमान जाते समय आयन्दा जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये।

8. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सामग्री से स्पष्ट होता है कि परिवादी अनुसूचित जाति का सदस्य है, जबकि विपक्षीगण अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य नहीं है। परिवादी अपने सरकारी मकान का निर्माण करा रहा था। तभी विपक्षीगण ने आकर उसके मकान में तोड़फोड़ करके नुकसान पहुंचाया, मारपीट की, गाली गलौज किया, जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया तथा जान से मारने की धमकी दी।

9. मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सामग्री के आधार पर विपक्षीगण राम कुमार, सुख लाल, रामू, मुन्ना लाल व कृष्ण कुमार द्वारा धारा 323, 427, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(2)(5ए) अनु0 जा0 अनु0 जन0(अ0नि0) अधिनियम का अपराध प्रथम दृष्ट्या कारित किया जाना परिलक्षित होता है। अतः उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण राम कुमार, सुख लाल, रामू, मुन्ना लाल व कृष्ण कुमार को उपरोक्त धाराओं में जरिये सम्मन तलब किये जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है।

## <u>आदेश</u>

अभियुक्तगण राम कुमार, सुख लाल, रामू, मुन्ना लाल व कृष्ण कुमार को धारा 323, 427, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(2)(5ए) अनु0 जा0 अनु0 जन0(अ0नि0) अधिनियम में जरिये सम्मन दिनांक 02.9.2022 के लिए आहूत किया जाता है। परिवादी आवश्यक पैरवी अन्दर 7 दिन करे।

पत्रावली वास्ते हाजिरी मुलजिमान दिनांक 02.9.2022 को पेश हो।

दिनांकः 06.08.2022
अशोक कुमार

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)
पीलीभीत।

Digitally signed by Shiva Pandey
Date: 2022.08.06 16:29:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court